(72)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
138 / 2023	16.08.2023	05.05.2025

1. जगदीश पुत्र भूरा
2. रामजीलाल पुत्र भूरा
3. श्रीनारायण पुत्र भूरा

समस्त आयु वयस्क जाति माली निवासी ग्राम दांतली तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री अरविन्द शर्मा : — वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती

—:निर्णय :—

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 0.2500है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 294 स्थित है जो ग्राम दांतली पटवार हल्का भावनी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर खेती का कार्य करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी खेती कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण कर रहे है। हाल सेटलमेट से पूर्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 204 को नक्शें में कम करते हुये तथा पूर्व नक्शें भिन्न नक्शा बनाते हुये अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शें अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शे को मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है जिस कारण नवीन नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि पूर्व नक्शें अनुसार नापझोक करने पर ही आती है जिस कारण प्रार्थीगण के लिए उक्त दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 204 के वर्तमान राजस्व नक्शें को पूर्व नक्शा खसरा नम्बर 294 के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024 /701 दिनांक 16.08.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम दांतली के हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 0.25है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 294 जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश, रामजीलाल, श्रीनारायण पिता भूरा माली सा0देह के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 204 के साबिक खसरा नम्बर 294 थे जो हाल सेटलमेंट सन 2008 से पूर्व नक्शें की तुलना में उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

मोड को सीधा कर दिया गया है जो कि खातेदार के कब्जा काश्त के अनुकूल नही है। वर्तमान नक्शें में उक्त खसरा नम्बर का रक़बा लगभग 0.25है0 है। अतः रकबा कम नही हुआ है केवल खसरा नम्बर के आकार में बदलाव हुआ है।

वकील प्रार्थीगणं व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम दांतली, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 204 के वर्तमान राजस्व नक्शें को साबिक खसरा नम्बर 294 के नक्शें अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़